51/21 गंगाराम – हरलाल

दिनांक	आज्ञा पत्र
15/7/25	पत्रावली पेश। बहस अपील सुनी गई। पत्रावली बाद आदेश दिनांक 2.8.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 41/2021

1 गंगाराम पुत्र श्री बोदूराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम कल्याणपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 हरलाल पुत्र श्री महाबक्स आयु 41 साल
2 विजयपाल पुत्र स्व. श्री सुल्तान उम्र 26 साल
3 कालूराम पुत्र स्व. श्री सुल्तान उम्र 34 साल
4 सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री सुल्तान उम्र 32 साल
5 ज्याना देवी पत्नी स्व. श्री सुल्तान उम्र 62 साल
6 कमला देवी पुत्री स्व. सुल्तान उम्र 35 साल
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांकित 19.04.2021 न्यायालय सहायक कलेक्टेर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर जिला सीकर पत्रावली संख्या 04/2020 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी हरलाल बनाम विजयपाल वगै. जिसके तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री उत्तम कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 02.8.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2020 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष एक नियमित वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया जो आज दिन भी विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन में अपीलान्ट के खिलाफ एकपक्षीय बहस सुनकर विचारण न्यायालय ने अन्तरिम निषेधाज्ञा के बिन्दु पर आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर अपीलान्ट को अन्तरिम निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया एवं अन्तरिम निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण अग्रिम कार्यवाही तक विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 493, 494, 515, 516 कुल 04 कुल रकबा 7.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 428,429, 430, 431, 433 से 437 कुल किता 09 कुल रकबा 5.37 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 568 से 578, 598 कुल किता 08 कुल रकबा 8.89 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम कल्याणपुरा व भूमि खसरा नम्बर 880 से 883, 883/1042, 897, 890, 901, 902, 903, 924, 925 कुल किता 12 कुल रकबा 5.90 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम करमली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। जिसे बाद सुन बहस दिनांक 19.04.2021 को पुष्ट कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तु की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया जिसे प्रार्थी/अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही कर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई। इस एक पक्षीय आदेश के पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

होने से प्रार्थी/अपीलान्ट के विधिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ा है तथा कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग में भी बाधा आयी है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र यह तथ्य अंकित करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल की गई कि प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए को उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्षकारान को तादौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा तक विवादित भूमि खसरा नम्बर 493, 494, 515, 516 कुल 04 कुल रकबा 7.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 428, 429, 430, 431, 433 से 437 कुल किता 09 कुल रकबा 5.37 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 568 से 578, 598 कुल किता 08 कुल रकबा 8.89 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम कल्याणपुरा व भूमि खसरा नम्बर 880 से 883, 883/1042, 897, 890, 901, 902, 903, 924, 925 कुल किता 12 कुल रकबा 5.90 हैक्टेयर अवस्थित तन ग्राम करमली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे उक्त आदेश में वे परिस्थितियों एवं दस्तावेजों का उल्लेख नहीं है जिस पर विश्वास कर उक्त आदेश पारित किया गया तथा जिनके आधार पर विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, बिना उचित एवं पर्याप्त साक्ष्य के विचारण न्यायालय ने यह आदेश दिनांकित 19.04.2021 पारित किया है। प्रार्थी/अपीलान्ट उक्त भूमियों का सहखातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से के भू–भाग पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा वर्तमान में भी काश्त कर रहा है। इसलिये मनमाने भू–भाग पर कब्जा करने का रेस्पोडेन्ट द्वारा लगाया गया आरोप झूठा साबित होता है लेकिन इस तथ्य की कोई जांच नही कर प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध तथा विधि द्वारा प्रतिस्थापित सिद्धान्त के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है तथा सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। प्रार्थी/अपीलांट को रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमियों का बंटवारा करने के लिये कभी बोला गया हो और प्रार्थी/अपीलान्ट ने बंटवारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करवाने से मना कर दिया गया हो, ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में नहीं होते हुये भी उक्त आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट आदेश पारित करते समय आवेदन की तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन का सही रूप से विवेचन विश्लेषण एंव मूल्यांकन नहीं किया गया। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियों में प्रत्येक खातेदार काश्तकार का प्रत्येक ईंच–ईंच पर समान रूप से अधिकार होता है जिसका विधिक बंटवारा होने पर ही एक विशेष स्थान पर उसका अधिकार होता है चूंकि वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। जिसमें प्रार्थी के साथ–साथ अप्रार्थीगण की भूमियों का भी विधिक बंटवारा उनके हिस्से में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिक तकास्मा प्रस्ताव भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा बनाये जाने एवं खातेदार काश्तकारान के द्वारा सहमत होने पर विधिक बंटवारा की विधिक कार्यवाही मूल वाद में ही निश्चित होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियों में प्रत्येक खातेदार काश्तकार का प्रत्येक ईंच–ईंच पर समान रूप से अधिकार होता है जिसका विधिक बंटवारा होने पर ही एक विशेष स्थान पर उसका अधिकार होता है चूंकि वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। जिसमें प्रार्थी के साथ–साथ अप्रार्थीगण की भूमियों का भी विधिक बंटवारा उनके हिस्से में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिक तकास्मा प्रस्ताव भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा बनाये जाने एवं खातेदार काश्तकारान के द्वारा सहमत होने पर विधिक बंटवारा की विधिक कार्यवाही मूल वाद में ही निश्चित होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

RY

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

Scanned with OKEN Scanner